

प्रातःकिरण

हर खबर पर पकड़

f /Pratahkiran

t /Pratahkiran

g /Pratahkiran

वर्ष : 11

अंक : 284 | पटना, सोमवार, 26 फरवरी, 2024 |

विक्रम संवत् 2080

पेज : 12


मूल्य ₹ : 03.00

www.pratahkiran.com



आधुनिक और तेज ट्रेनों के मोदी सरकार की गारंटी

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ₹ 41 हजार करोड़ की
लागत से देशभर के 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प
और 1500 रोड ओवर ब्रिज/अंडरपास का
शिलान्यास, उद्घाटन व राष्ट्र को समर्पण



बिहार में 33 स्टेशनों का पुनर्विकास

■ बरौनी	■ दौरम मधेपुरा	■ सिमरी बखियारपुर	■ रफी गंज	■ नवी नगर रोड
■ सिवान	■ डेहरी ऑन सोन	■ सुपौल	■ मैरवा	■ घोड़ासहन
■ मुंगेर (मोंगहिर)	■ गुरारू	■ नवादा	■ पीरो	■ सालमारी
■ थावे	■ काढागोला रोड	■ रक्सौल	■ विक्रमगंज	■ एकमा
■ सबौर	■ चौसा	■ मोतीपुर	■ लाभा	■ शाहपुर पटोरी
■ अररिया कोर्ट	■ लहेरियासराय	■ लक्खीसराय जं	■ जनकपुर रोड	■ चकिया
■ शिवनारायणपुर	■ बांका	■ मशरख		

- सिटी सेंटर के रूप में पुनर्विकास - रुफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने का क्षेत्र आदि जैसी सुविधाएं
- अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वारा, बहु-स्तरीय पार्किंग, लिफ्ट, एस्केलेटर, लाउंज, प्रतीक्षालय, ट्रैवलेटर, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं
- मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के एकीकरण से पुनर्विकसित स्टेशन क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनेंगे

एवं

72 रोड ओवर ब्रिज / अंडरपास का निर्माण

- सड़क एवं रेल यातायात का बाधा रहित आवागमन
- स्थानीय निवासियों को रेल लाइन के दोनों तरफ आने जाने की सुरक्षित व सुगम सुविधा
- यातायात समय में आएगी कमी

नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री
के द्वारा

26 फरवरी, 2024 | प्रातः 11:00 बजे से

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

गरिमामयी उपस्थिति

अश्विनी वैष्णव
केन्द्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स
एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

रावसाहेब पाटिल दानवे
केन्द्रीय रेल, कोयला एवं खान
राज्य मंत्री

दर्शना जरदोश
केन्द्रीय रेल एवं वस्त्र
राज्य मंत्री



पर कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देखें

विचारमंथन

मोदी जी क्यों महान हैं?

अजय दाक्षिणायन न समाचारो म दखने अर पढ़ा हांगा का करत म आधर्दर्जन से अधिक पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को पिछले दो-तीन साल से एकांतवास में मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गई थी। उन पर करत वे खिलाफ जासूसी का आरपण था। उन्हें एकांतवास में अलग-अलग रखा गया था। इसे सोलिटरी कक्षाइन्मेंट कहते हैं। आपको यदि आधा दिन र्ह बिल्कुल अधेरे में बन्द करने में रखा जाये, न रोशनी, न भोजन, न टी.वी. न देख सुन सकते हो, तो कैसा लगेगा। इन्हें तो कई साल तक ऐसे ही रखा गया था। न तो भारत सरकार को, न ही भारतीय दूतावास को कोई खबर रही। न ही इन्हें इनके परिवार को इनके बारे में कुछ मालूम था। जब खबर लीक हुई तो भारत के विदेश मंत्रालय ने और करत के भारतीय दूतावास ने करत के अधिकारियों से सम्पर्क साधा। बाद में अपील करने पर इन्हें मौत की सजा से आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इन्हें काउंसलर ऐसे भी दिया गया। पिर इन्हें सोलिटरी कक्षाइन्में से साधारण जेल में रखा गया और परिवार वालों को भी इनसे सम्पर्क की इजाजत दे दी गई। माननीय प्रधानमंत्री 14.02.2024 को करत और यू.ए.इ. के दौरे पर हैं। यू.ए.इ. में उन्होंने एक मन्त्रिका उद्घाटन भी किया। 13 फरवरी की अल सुब्रह्मण्यम् इनके पूर्व नौ सैना अधिकारियों में से छः चुपचाप भारत लौट आये। इनके परिवार वालों को भी कोई सूचना नहीं थी। एक नौ सैनिक अभी करता में ही है। पर वह भी आजाद है। आप क्या सोचते हैं? ये कैसे आजाद हुए? यह सब असल में मोदी जी के करत के शेख से सीधे बातचीत से सभत्व हुआ है। कितने प्रधानमंत्री होंगे जो अपने किसी साधारण नागरिक के लिए ऐसा प्रयास करेंगे? एक नौ सैनिक की पती तो अभी करत में ही है। भारत लौट कर आने के बाद इस नौ सैनिक अधिकारी ने अपनी पती को फोन करत भारत वापस आने के लिए कहा। परे देश को इस प्रयास के लिए मोदी जी का आभारी होना चाहिए चाहे पक्ष हां या विपक्ष। जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तब वास्तव में विदेश से सम्पर्क का काम तो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी करते थे, परन्तु सुषमा स्वराज भी इसी प्रकार संकट में फंसे भारती कर्मसदा मदद करती थी जो विदेशों में फंस गये हैं। सुदूर राजनीति में पक्ष और विपक्ष को एक दूरे के अच्छे कामों की खोलकर तारीफ करनी चाहिए। पंजाब में वहां के मुख्यमंत्री ने सड़क पर गश्त करने के लिए विशेष पुलिस बल बनाया है। यह पुलिस वाले सड़कों पर कार में घूमते रहते हैं ताकि एक्सीडेंट या गाड़ी खराब होने पर तकाल सहायता मिल जाये। पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। इसी प्रकार दिल्ली में मोहल्ला कल्नीनिक भी अच्छी फैल है। असल में घर में बाईं का काम करने वाली या गरीब या वृद्ध या सड़कों पर ठेला लगाने वाले यदि सरकारी अस्पताल जाएंगे तो पूरा दिन बबांद होंगा। तो उनकी नौकरी या रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। मोहल्ला कल्नीनिक में घर के पास ही तुरन्त जाकर डॉक्टरी सलाह मिलने से इस प्रकार के लोगों को बहुत फायदा होगा। यह अच्छा काम है सभी को इसकी तारीफ करनी चाहिए। दिल्ली में रूफटॉप सूर्य किरण कंगमी से बिजली पैदा करना भी अच्छी पहल है। अब उत्तर प्रदेश में योगी जी को भी ऐसी ही धोषणा करनी चाहिए। अब कई और राज्य भी बिजलि मुख्य देने की धोषणा कर रहे हैं। अच्छा काम, अनुकरणीय काम, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, सभी को उसकी तारीफ करनी चाहिए।

षड्यंत्रों का शाखनाद

डा. रवीन्द्र अरजरिया

जा रहे। लोकसभा के
गोष्टदाराओं का धम्पितना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं



३५

से से दावे तो लगभग सभी कानूनी विधियों के अनुरूप हैं। परन्तु हक्कीकत शायद इससे छ अलग ही है। दिन प्रतिदिन आचार बड़े पैमाने पर फलफूल रहा। भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग सत्ता संरक्षण में स्वयं को सुरक्षित कर रहे हैं। देश के लाखों करोड़ रुपए कर तमाम ठग व भगौड़े विदेशों में नाह ले चके हैं। बड़े व्यवसाय व कों पर उद्योगपतियों के नेटवर्क का गग्भग पूर्ण निरंतर हो चुका है। यहाँ कि बड़े उद्योगपतियाँ द्वारा छोटे व्यवसायियों को निगलने का खेल खेला ज रहा है। एक तरफ जहाँ आचारियों को संरक्षण देने और उन्हें ले लगाने के कई उदाहरण सामने हैं हृष्टाचारियों की गयी छापेमारी के अल खोलने व उन्हें बेनकाब करने के साथ या ह्वाइसल ब्लॉअर्सह की सुरक्षा की हत्या से बरकर उनपर हमलों व मुकदमों जैसी अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। अनेक आर टी आई कार्यक्रमों की हत्या व उन पर हमले हो चुके हैं। जबकि हमारे देश में ह्वाइसल ब्लॉअर को ह्वाइसलब्लॉअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014 द्वारा संरक्षित भी किया जाता है। कानून में उनकी पहचान की सुरक्षा के साथ-साथ उनके उत्तीर्णन को रोकने के लिये कठोर मानदंडों को भी शामिल किया गया है। परन्तु इससे दिनों जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मालिक मालिक जैसे वरिष्ठ नेता के करीब 30 ठिकानों पर सी बी आई द्वारा की गयी छापेमारी के बाद एक बार यह सवाल फिर उठने लगा है कि सरकार आखिर कि सके साथ है? भ्रष्टाचारियों या रिश्वतखोरों के साथ या ह्वाइसलब्लॉअर्सह के साथ? सत्यपाल मालिक ने कहा कि क्योंकि जिस किरु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनके घर पर छापा डाला गया है उसमें वो असल में ह्वाइसल ब्लॉअर और शिकायतकर्ताओं थे। इस छापेमारी के बाद उन्होंने फिर दोहराया कि ये वही किरु मामला है जिसमें मैंने कहा था कि मुझे 150 करोड़ रुपये की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी लेकिन मैंने फाइल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। लेकिन मैंने जिन गुनहगारों के नाम लिए थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सीबीआई ने ह्वाइसलब्लॉअर के खिलाफ ही कार्रवाई करने का फैसला किया। मालिक ने यह भी आरोप लगाया कि ह्वाइसलब्लॉअर अपने आलोचकों को चुप करना चाहती है। विपक्षी दल भी पूर्व राज्यपाल के ठिकानों पर की गयी सी बी आई छापेमारी को असंतोष

गुस्से से धू
भी बताया
तो इस प्रवाह
में लिखा
मर्गि, तो र
आँफ डेमोड
तो उनकी
कर दो-ये
पूर्व गवनर
सीबीआई
डेमोक्रेटि
का बैंक ३
मदर आँफ
इंटरनेट बै
के गोले-ये
मीडिया हो
हर आवाज
ऑफ डेमोड
तो क्या
बताया ज

यान भटकाने की कोशिश
जा रहा है। राहुल गांधी
रुण पर अपने ही अंदर
है कि-हक्किसान एमएस
हरहें गोली मारा-ये है म
केसी? जवान नियुक्ति म
बताते तक सुनने से इनकी
है मदर आँफ डेमोक्रेसी
सच बोलें, तो उनके
भेज दो-ये है मदर आँफ
सबसे प्रमुख विषयों त
काकाउंट फ्रीज कर दो-ये है
डेमोक्रेसी? धारा 14
म, तुकीली तारें, आंसू
है मदर आँफ डेमोक्रेसी
या सोशल मीडिया, सच
को दबा देना-ये है म
क्सी?
जिसे मदर आँफ डेमोक्रेसी
रहा है उस देश

अनिन्दित
बलिंदि
हाविक्षि
पर उड़ा
उठाने
पूर्व र
गत व
पत्रक
माडिंग
थे जिन
लेकर
आरोह
सतपान
कि व
पास र
से आ
थे अं
मुकेश
बड़े
भी ले

यमितता बरतने वालों को नहीं
अर टी आई एक्टिविस्ट या
सलल्जों असर्ह अथवा भ्रष्टाचार
गली उठाने वालों को ही परेशानी
पड़ सकती है? गौर तलब है कि
जयपाल सत्यपाल मलिक द्वारा
अप्रैल-मई महीने में कई प्रमुख
परां, टी बी चैनल्स व यू ट्यूब
या चैनल्स को साक्षात्कार दिये गए
समें मलिक ने पुलवामा हमले को
केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर
लगाए थे। उन्हीं साक्षात्कारों में
ल मलिक यह भी कह चुके हैं
कश्मीर का राज्यपाल रहते उनके
दो फाइलें आई थीं। एक प्रोजेक्ट
रएसएस के एक बड़े व्यक्ति जुड़े
गौर एक प्रोजेक्ट से उद्योगपति
आ अंबानी। वे आरएसएस के उस
व्यक्ति का नाम (राम माधव)
चुके हैं। परन्तु छापेमारी न तो

तरह याद कीजिये दो वर्ष पूर्व अयोध्या में कथित जमीन घोटाले को लेकर आप सासद संजय सिंह ने प्रेस कॉफ़ेरेंस कर कर्ड दस्तावेजी सुबूत पेश करते हुये विश्व हिन्दू परिषद नेता चम्पत राय पर भ्रष्टाचार के मांधीर आरोप लगाये थे। परन्तु आज, सासद संजय सिंह तो किसी दूसरे मामले में जेल में हैं जबकि चम्पत राय राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समरोह के मुख्य मेजबान रहे हैं। यहाँ तक कि 22 जनवरी को अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समरोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला निमंत्रण देने का भी सौभाग्य उन्हीं को हासिल है?

राहुल गांधी अडानी के व्यवसाय सम्बन्धित अनेक अनियमितताओं पर मुखरित होकर बोलने वाले देश के इकलौते साहसी नेता हैं। परन्तु उन की न केवल सांसदी छीनने की कोशिश की जा चुकी बल्कि और भी अनेक

ਪੰਜਾਬ ਪੰਧਾ ਘੜਕਾਪਣ ਦੀ ਗੁਫਾ ਬਣਾ ਪਾਏਗਾ ?

1977 में इंदिरा गांधी सत्ता के दूरप्रयोग के आरोपों के कारण हारी थी। लोगों ने सविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करके देश में इमरजेंसी लागाने, विपक्षी नेताओं को जेल में डालने, मीडिया पर सेंसरशिप लागू करने जैसी ज्यादातियों के लिए उनका सजा दी थी। एक बार सजा देने के बाद लोगों ने तीन साल में ही फिर उनकी सत्ता में वापसी भी कराई थी। इसके अलावा बाकी सत्ता परिवर्तन चाहे वह 1989 का हो या 2014 का वह भ्राताचार और महंगाई के मुद्दे पर हुए थे। 1996 या 1998 में हुए बदलावों को सत्ता परिवर्तन की बजाय सत्ता हस्तांतरण कह सकते हैं। क्योंकि सारी पार्टियां और गठबंधन सीटों की संख्या के लिहाज से आसपास ही थे, जिसने बेहतर गठबंधन किया उसने सरकार बना ली। सत्ता परिवर्तन से उलट सत्ता की निरंतरता हमेशे सकारात्मक रही है। लोग बेहतर की उम्मीद में सत्तारूढ़ गठबंधन की वापसी करते रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को भी 1991 में नियमित रूप से सरकार चलाने के बाद दूसरा मौका मिला था। मनमोहन सिंह को भी पांच साल के बाद दूसरा मौका मिला और नरेंद्र मोदी को भी पांच साल के बाद दूसरा मौका मिला है। लगातार तीसरा मौका इस देश में सिर्फ़ पांडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था।



लेखक वारष्ट्र पत्रकाएँ हैं। यह के लिहाज से आसापास ही थे, जिसने बेहतर गठबंधन किया उसने सरकार

11

हुआ है, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर, कि देश के मतदाताओं ने सकारात्मक रूप से सत्ता परिवर्तन के लिए मतदान किया हो। अच्छे की उम्मीद में या ज्यादा विकास की उम्मीद में मतदान करके सत्ता परिवर्तन की मिसाल नहीं है। राज्यों के स्तर पर जरूर ऐसी कुछ मिसालें हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर संभवतः एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। लगभग हर बार सत्ता परिवर्तन के लिए किए गए मतदान के पीछे भ्रष्टाचार सबसे कॉमैन कारण रहा। उसके बाद महंगाई और फिर सत्ता का दुरुपयोग ये दो कारण रहे। 1977 में ईंदिरा गांधी सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों के कारण हरी थीं। तोनों ने सविधान के प्रवायानों का इस्तेमाल करके देश में इमरजेंसी लगाने, विपक्षी नेताओं को जेल में डालने, मीडिया पर सेंसरशिप लागू करने जैसी ज्यादतियों के लिए उनकी सजा दी थीं। एक बार सजा देने के बाद लोगों ने तीन साल में ही किए उनकी सत्ता में वापसी भी कराई थी। इसके अलावा बाकी सत्ता परिवर्तन चाहे वह 1989 का हो या 2014 का वह भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर हुए थे। 1996 या 1998 में हुए बदलाव को सत्ता परिवर्तन की बजाय सत्ता हस्तांतरण कह सकते हैं। क्वांटिक सारी पार्टियां और गठबंधन सीटों की संख्या की निरंतरता हमेशा सकारात्मक है। लोग बेहतर की उम्मीद में सत्ता गठबंधन की वापसी कराते रहे अटल बिहारी वाजपेयी को भी महीने सरकार चलाने के बाद दूसरा मौका मिला था। मनमोहन सिंह का पांच साल के बाद दूसरा मौका मिला और नंदें मोदी को भी पांच साल बाद दूसरा मौका मिला है। लगानी तीसरा मौका इस देश में सिर्फ पांच जवाहरलाल नेहरू को मिला था। यह वक्ष प्रस्तु है कि क्या नंदें मोदी के पहले प्रधानमंत्री पडित नेहरू रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या उन्हें रोकने लिए कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टी भ्रष्टाचार, महंगाई और सत्ता दुरुपयोग का मुद्दा बना पाएंगी? समय देश में ऐसी स्थितियां मौजूद हैं ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, जिनसे विभिन्न भ्रष्टाचार, महंगाई और सत्ता दुरुपयोग यानी तीनों का मुद्दा तो सकता है। ध्यान रहे 1975 में ईंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आधार पर खारिज किया था। उनके निजी सहायक यशपाल कपूर अपना इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ईंदिरा गांधी का चुनाव प्रचार संभव था। सोचें, यशपाल कपूर ने इसीपर दिया था और स्वीकार होने से पहले ईंदिरा गांधी के चुनाव क्षेत्र में चले

रही रुद्ध हैं। 13 सरा भी मंत्रालय के तार डिंडित तभी देश का 1 के इसके बना दिरा कोट कि ए ने हले हले गए चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाया था उसने विपक्ष के आठ वोट अवैध घोषित करके भाजपा को चार वोट से जीत दिला दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने न सिफ गिनती रद्द करके वापस आम आदमी पार्टी का मेयर बनाया है, बल्कि भाजपा के नेता अनिल मसीह पर मुकदमा दर्ज करने को कहा है। यह सत्ता के दुरुपयोग का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण विपक्ष को मिल जाएंगे। विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई, विपक्षी नेताओं की गिरफतारी, राज्यपालों का मनमाना रवैया, मीडिया पर अयोध्या पांचदंगी जिसे कई मुहै हैं, जिन्हें विपक्ष गाहें-बगाहे उठाता रहता है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो चुनावी बॉन्ड पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक नजीर है। सरकार ने चुनावी चंदे के लिए एक ऐसी योजना लागू की थी, जिसमें शून्य पारदर्शिता थी। चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने की योजना में इतनी गोपनीयता थी कि किसी को पता नहीं चल पाता कि किसने बॉन्ड खरीदा, कितने का खरीदा और किसको कितनी राशि दी। इसे धन विधेयक की तरह सिर्फ लोकसभा से पास करके कानून बनाया गया था और सूचना के अधिकार कानून का दायरे से बाहर रखा गया था। छह साल से यह

अकेले भाजपा को मिला था। सुरक्षा कोर्ट के पांच जजों की सर्विधान चैनल ने इस कानून को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया और इस पर रोक लगा। अभी सात जजों की एक पीढ़ी इसे अवैध घोषित की तरह पेश किए जाने मामले की सुनवाई कर रही है। चुनाव बॉन्ड योजना को रद्द करने के साथ अदालत ने इसमें किंवदं प्रो व मिली भिंगत की आशंका भी जताई। अगर महंगाई की बात करें तो वह 2014 के मुकाबले कई उन्ना बढ़ गयी है। महंगाई कई रूपों में आम लोगों जीना महाल किए हुए है। पटेल व कीमत देश के अनेक हिस्सों में एक रुपए प्रति लीटर से ऊपर है। डीजल की कीमत भी 90 रुपए लीटर आसपास है। रसोई गैस के सिलिंडर की कीमत जो 2014 में चार सौ रुपए थी, वह जै सौ रुपए है, जो थोड़े फिर पहले तक 11 सौ रुपए हो गई थी। तब है, जबकि अंतराष्ट्रीय बाजार कच्चे तेल की कीमत बहुत कम हो रही है। खाने-पीने की जीजों की महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। एक तरफ कीमत बढ़ रही हैं तो दूसरी ओर कंपनियां डब्बाबंद वस्तुओं का बजन बढ़ावा करती जा रही है, जिसे स्टिक्पॉले नाम दिया गया है। हर महीने जीएससी की वसूली का नया रिकॉर्ड इसमें

फीसदी है तो उसमें उपभोक्ता खर्च की बढ़ोतारी चार फीसदी के आसपास है। जीएसटी का रिकॉर्ड महंगाई बढ़े की वजह से बन रहा है। इस तरह कह सकते हैं कि देश में सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और महंगाई तीनों की स्थितियां मौजूद हैं। लेकिन क्या विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बना पाएगा? क्या विपक्ष के पास इसकी सलाहियात है कि वह एकजुट होकर साझा तौर पर इन तीनों का मुद्दा बनाए और अगर विपक्ष ऐसा कर भी लेता है तो क्या जनता इस पर यकीन करेगी? यह बड़ा सवाल है क्योंकि यह विपक्षी पार्टियों की अपनी साख से जुड़ा मामला भी है। उनकी अपनी साख इतनी बिगड़ी हुई है कि लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। भाजपा ने 10 साल की सत्ता का इस्तेमाल करके सुनियोजित तरीके से विपक्ष की साख खराब की है। विपक्षी पार्टियों को भ्रष्ट और परिवारवादी साबित किया गया है। कांग्रेस के इमरजेंसी की हमेशा याद दिलाई जाती रही है। परिवारवादी प्रदेशिक पार्टियों के शासन के दौरान की मननायियों की भी लोगों को याद दिलाई जाती है। इसके साथ साथ भाजपा की केंद्र सरकार ने अपने संसाधनों के दम पर लाभार्थी मतदाताओं का एक ऐसा वर्ग तैयार किया है जो इसके बाद अपने विपक्षीयों को बाहर कर सकता है। यह एक बड़ा बदलाव है।

सनत जैन
केंद्रीय ग्रह मंत्रालय द्वारा 1 जलाई से अंतर को हम समझना चाहें, तो अंगेजों के बनाये हुए कानून में ऐतिकाता थी, जिसके द्वारा थी। अदालत के अधिकार कर सकेगी। केवल आशंका होने पर किसी भी नागरिक को जेल भेजा जा सकता है। जांच अधिकारी या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जिसके कारण नागरिकों के मौलिक उपलब्ध कराई गई है। इसे नागरिकों तथा जुलाई से यह लागू नहीं होगा। गवाहों के को गिरफ्तार नहीं कर पाती हैं। आरोपी अदालत में उपरित नहीं होता है। ऐसी विधि में उसकी गैर मौजूदगी में भी

पाठ्यपूर्ण
नए आप

धिष्ठुसूचना जारी कर दी गई है। भारतीय सहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा हित और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नए प्रावधान 1 जुलाई से लागू हो गए। यह तीनों कानून अंग्रेजों नाए गए कानून का स्थान लेंगे। भारतीय रक्कर ने अंग्रेजों के बनाये हुए कानून स्थान पर जो नए कानून बनाए, सको वर्तमान परिस्थित्य में कानून छ धाराएं खत्म कर दी गई हैं। कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं। अंग्रेजों को बड़े कानून और भारतीय कानून के र

सरकार के ऊपर अदालतों का नियन्त्रण होता था। जो कानून लागू होंगे, उसमें सरकार अंग्रेजों से ज्यादा निरंकुश हो सकती है। अंग्रेजों के बनाए गए जादेवह कानून को खत्म कर दिया गया है। उसके स्थान पर अब देशदेहों को शामिल किया गया है। लोकतात्त्विक देश में सरकार की आलोचना कोई भी नागरिक कर सकता है। भारत सरकार ने जो नया कानून बनाया है। उसमें देश की सुरक्षा, संपत्ति और नियन्त्रण पांचनामे की आधारकालीन सरकार के ऊपर अदालतों का नियन्त्रण होता था। जो कानून लागू होंगे, उसमें सरकार अंग्रेजों से ज्यादा निरंकुश हो सकती है। अंग्रेजों के बनाए गए जादेवह कानून को खत्म कर दिया गया है। उसके स्थान पर अब देशदेहों को शामिल किया गया है। लोकतात्त्विक देश में सरकार की आलोचना कोई भी नागरिक कर सकता है। भारत सरकार ने जो नया कानून बनाया है। उसमें देश की सुरक्षा, संपत्ति और नियन्त्रण पांचनामे की आधारकालीन सरकार और जांच एजेंसियां इसमें निरंकुश हो सकती हैं। जैसा कि अभी पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है। आरोपी के आधार पर लवे समय तक नागरिकों को जेल में लंबे समय जाता है। जल्द अप्रूवित में

कानून बनाए गए हैं, उसकी जा प्रक्रिया में तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। भारत जैसे देश में जो इंटरनेट की उपलब्धता आज ऐसी न है। वहां पर कानून के नए प्रावधान व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सार्व हो सकते हैं। भारतीय न्याय सही की धारा 106(2)के फ़िलहाल अमंत्रालय ने स्थगित करके रखा है। इस एंड रन के इस कानून का भारी विवर है।

रहा है। वांडिये कॉफ्रेंसिंग से गवाही देने की सुविधा होने से अब गवाहों को डराने धमकाने या रास्ते में उनके ऊपर हमल करने जैसी घटनाएं नहीं होगी। लोग बिना किसी डर भय के गवाही, दे पाएँगे। इससे न्याय प्रक्रिया में निश्चित रूप से सुधार आएगा। अंग्रेजों के बने हुए कानून में आरोपी पर तभी मुकदमा चलाया जा सकता था। आरोपी का अदालत में हाजिर होना जरूरी था। जो न्यायोंपर क्षिया गया है। यारोपी अन्याय संपत्ति जप की जा सकती है। न एस संशोधन में समय सीमा के अंदर मुकदमे की सुनवाई हो। इसका भी प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान अंग्रेजों के बनाये हुए कानून में थी थे। जिनका कुछ वर्षों पहले तक जांच एजेंसियों और अदालतों में पालन होता था। अब वह स्थिति नहीं है। जिस तरह से सरकार रोजाना नियत नए कानून बना रही है। बार-बार कानून और नियमों को संशोधित किया जा रहा है। सप्तकम जल्दीजी से दिया जा सकता

